अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालयिक कर्मचारी संघ (अरूस्मा)

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)

प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

क्रमांकः ARUSMA/प्रदेश/राज./2026/252–257 दिनांकः–07.01.2026

माननीय मुख्यमंत्री/उच्च शिक्षा मंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् शासन सचिव,
कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।

श्रीमान् आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

विषयः– अचल सम्पत्ति विवरण को ऑनलाईन भरते समय उत्पन्न हो रही तकनीकी समस्या के निदान बाबत।

संदर्भः– कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक– प. 13(76)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2021/02463 राजकाज रेफरेंस क्रमांक– 19652290 दिनांक– 31.12.2025

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के अनुसार कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों एवं कार्यालयों में कार्यरत समस्त मंत्रालयिक कर्मचारियों के द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण भरे जाने के लिए लागू राजकाज पोर्टल पर अचल सम्पत्ति विवरण मॉडयूल पर वर्ष–2025 का 01 जनवरी 2026 की स्थिति में अचल सम्पत्ति विवरण भरते समय विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याएँ यथा– विभाग का नाम प्रदर्शित नहीं होना, संबंधित कार्मिक का कार्यालय का नाम एवं पदनाम प्रदर्शित नहीं होना, पोर्टल का तकनीकी दृष्टि से सहीं नहीं खुलना आदि समस्याएँ प्रदर्शित हो रही है। जिसके कारण राजकाज पोर्टल पर उक्त मॉडयूल के शुरू किए जाने के उपरांत आदिनांक तक बहुत ही न्यून कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण भरा गया है।

इसी क्रम में स्पष्ट हैं कि राजकाज पोर्टल पर अचल सम्पत्ति विवरण मॉडयूल पर वर्ष–2025 का 01 जनवरी 2026 की स्थिति में अचल सम्पत्ति विवरण भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित है। साथ ही कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक– प.13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 दिनांक– 29.06.2021 एवं 19.01.2023 के द्वारा लागू प्रावधानों की अनुपालना में अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरे जाने पर संबंधित कर्मचारियों को प्रावधानानुसार वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति का लाभ देय नहीं होगा।

अतः कार्मिक हित को ध्यान में रखते हुए अचल सम्पत्ति विवरण को ऑनलाईन भरते समय राजकाज पोर्टल के अचल सम्पत्ति विवरण मॉडयूल में उत्पन्न हो रही तकनीकी समस्याओं का अतिशीघ्र निदान करवाया जाना अत्यावश्यक है।

आपसे अनुरोध हैं कि कार्मिक हित में संघ की उपरोक्त माँग पर अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

आपकी सकारात्मक कार्रवाही की प्रतीक्षा में।

दिनांक– 07.01.2026 **भवदीय**

प्रकाश चन्द्र शर्मा
प्रदेशाध्यक्ष, ARUSMA